न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— राम प्रकाश (IAS)

प्रकरण संख्या :— 12/2013

उनवान मुकदमा

रामा पिता श्री वालिया चमार, जाति चमाार, आयु 35 वर्ष, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादी

बनाम

1. रामा पिता मडिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. छगन पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. केशु पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. गिरधारी पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. मोगा पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. स्व. गोतिया पिता रूपा, जाति चमार के वारिसान :—

6/1 रायचन्द पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

6/2 गोवर्धन पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

6/3 श्रीमती नानी पत्नी रामसिंह, पुत्री स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, बांसवाड़ा (राज.)।

6/4 श्रीमती नवु पत्नी देवीलाल, पुत्री स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी कालाखेत, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

6/5 श्रीमती सुगना पत्नी केशुराम, पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

7. तहसीलदार छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा।

—: *प्रतिवादीगण*

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 30/01/2020

वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र धारा 88, 188, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, वादी के पिता वालिया पिता रूपा चमार के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की खातेशुदा कृषि भूमि खाता संख्या नया 293, पुराना 233 सर्वे नम्बर 612/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, लगानी 0.88 पैसा, सर्वे नम्बर 618, रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा लगानी 1.38 रूपया, सर्वे नम्बर 619 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 0.37 रूपया, वाके ग्राम छोटी सरवन, पटवार हल्का छोटी सरवन, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि मेरे पिता वालिया पिता रूपा चमार के खाते में जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030, 2031 से 2034, 2034 से 2037 व खसरा संवत् 2005 से 2007, 2015 से 2018, 2023 से 2026 थी। मेरे पिता वालिया पिता रूपा चमार ने उक्त कृषि भूमि नोतोड निकालकर काफी मेहनत व रूपया खर्च कर खेती करने लायक बनाया है तथा अपने जीवनकाल तक खेती करते रहे तथा मै भी जब से समझदार हुआ हूं, अपने पिता के साथ खेती में सहयोग कर रहा हूं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता अमरिया व प्रतिवादी संख्या 6 ने नामान्तरण संख्या 434 दिनांक 18.12.1978 को मेरे पिता की जानकारी के बिना फला—फला अधिकारी से मिलकर गलत ढंग से अपने नाम से म्युटेशन करवा लिया है। जबकि उक्त कृषि भूमि पर मेरे पिता का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मेरे पिता मौसम अनुसार फसल प्राप्त कर रहे है आदि .... आदि ....।

वादी मूल पुरूष वालिया पिता रूपा चमार का वंशज होने के कारण वादग्रस्त सर्वे नम्बर कृषि भूमि का वादी को कृषक खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। यदि वादी को कृषक खातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादी को असहाय हांनि होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा। वादी को कृषक खातेदार घोषित कर वादी का नाम खाते में दर्ज करने की डिक्री सादर फरमावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब करने पर प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार छोटी सरवन द्वारा दिनांक 31.07.2009 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 15.03.2010 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर तनकियात कायम की गयी।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का सांवधानी पूर्वक अवलोकन कर तनकीवार निर्णय किया गया।

Scanned by CamScanner

1. आया वादग्रस्त भूमि वादी के पिता की निजी एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम छोटी सरवन में स्थित है। इसको साबित करने का भार वादी पर था, वादी ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030, 2031 से 2034, 2034 से 2037 व खसरा संवत् 2005 से 2007, 2015 से 2018, 2023 से 2026 की प्रमाणित नकल प्रस्तुत की है। जिसमें वादी के पिता का नाम एकमात्र कृषक खातेदार के रूप में दर्ज है। जिस कारण यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता अमरिया व प्रतिवादी संख्य 6 ने नामान्तरण संख्या 434 दिनांक 18.12.1978 से मेरे पिता की जानकारी के बिना अपने नाम करवा ली है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, वादी ने अपने वाद–पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की है तथा पीडब्ल्यु–1 के रूप में स्वयं वादी व पी.डब्ल्यु–2 के रूप में नारायण, पी.डब्ल्यु–3 जीवा ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को साबित किया है, जिस कारण यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज हो गई है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद–पत्र के साथ नामान्तरकरण संख्या 434 दिनांक 18.12.1978 प्रस्तुत किया है तथा पी.डब्ल्यु 1 से 4 द्वारा अपने साक्ष्य में भी यह बताया है कि, वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से गलत रूप से म्युटेशन खुल गया है, जिस कारण यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण के पिता अमरिया एवं उनके पिता रतना की कुल कृषि भूमि,आराजी सर्वे नम्बर 411, 48, 397, कुल खेत नंग 3, कुल रकबा 25 बीघा 15 बिस्वा, वाके ग्राम छोटी सरवन में स्थित है, जिसका बंटवारा रूपला पिता राजिया चमार के जीवनकाल में मौखिक बंटवारा कर दिया है, जिससे आराजी सर्वे नम्बर 612/2, 618, 619 प्रतिवादीगण के स्वयं के हिस्से में आई है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि, वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में भी डी.डब्ल्यु के रूप में केशुराम व छगनलाल के बयान कराये है जिन्होने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि, वादग्रस्त भूमि संवत् 2002 से 2037 तक वालिया पिता रूपा के नाम दर्ज थी तथा वालिया पिता रूपा का रामा अकेला पुत्र है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5. आया वादी को उक्त कृषि भूमि दी गयी है और वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी संख्या 4 व 5 एक जैसी विषयवस्तु की होने के कारण तनकी संख्या 4 में उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार मौजा छोटी सरवन, पटवार हल्का छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा में स्थित वादी के पिता वालिया पिता रूपा चमार के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की खातेशुदा कृषि भूमि खाता संख्या नया 293, पुराना 233 सर्वे नम्बर 612/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, लगानी 0.88 पैसा, सर्वे नम्बर 618, रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा लगानी 1.38 रूपया, सर्वे नम्बर 619 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 0.37 रूपया में स्थित भूमि में वादी को कृषक खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इस बाबत तहसीलदार छोटी सरवन को आदेश दिये जाते है कि, वादी को कृषक खातेदार घोषित करे। इस मामले में पृथक से अन्तिम डिक्री पारित की जाती है।

निर्णय आज दिंनाक 30.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम हो।

30-01-2020

राम प्रकाश (IAS)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

Scanned by CamScanner

डिग्री व मुकदमे की इब्तजाई
(ऑर्डर 20 रूल 17 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन, मुकामः बांसवाड़ा इजलासः राम प्रकाश (IAS)
प्रकरण संख्या 12/2013

उनवान मुकदमा

रामा पिता श्री वालिया चमार, जाति चमार, आयु 35 वर्ष, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।

—: वादी

बनाम

1. रामा पिता मडिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
2. छगन पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
3. केशु पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. गिरधारी पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.
5. मोगा पिता अमरिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. स्व. गोतिया पिता रूपा, जाति चमार के वारिसान :—
6/1 रायचन्द पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6/2 गोवर्धन पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6/3 श्रीमती नानी पत्नी रामसिंह, पुत्री स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, बांसवाड़ा (राज.)।
6/4 श्रीमती नबु पत्नी देवीलाल, पुत्री स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी कालाखेत, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6/5 श्रीमती सुगना पत्नी केशुराम, पिता स्व. गोतिया, जाति चमार, निवासी दानपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
7. तहसीलदार छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 30/01/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय एवं हाजरी वकुलाय मिन जानिब वादी व मिन जानिब प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म किया जाता है कि अन्तिम डिक्री दी जाती है कि, मौजा छोटी सरवन, पटवार हल्का छोटी सरवन, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाडा में स्थित वादी के पिता वालिया पिता रूपा चमार के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की खातेशुदा कृषि भूमि खाता संख्या नया 293, पुराना 233 सर्वे नम्बर 612/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, लगानी 0.88 पैसा, सर्वे नम्बर 618, रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा लगानी 1.38 रूपया, सर्वे नम्बर 619 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा लगानी 0.37 रूपया में स्थित भूमि में वादी को कृषक खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इस बाबत तहसीलदार छोटी सरवन को आदेश दिये जाते है कि, वादी को कृषक खातेदार घोषित करे।
नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत शून्य खर्चा इस मुकदमे में मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयादी तक शून्य अदा करे।
बवक्त मेरे दस्तकत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.01.2020 को जारी की गयी।

30-01-2020
राम प्रकाश (IAS)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शुन्य	स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य
स्टाम्प वकालतनामा	शुन्य	स्टाम्प अरजी	शुन्य
स्टाम्प वहज सबुत	शुन्य	मेहनतनामा वकील	शुन्य
मेहनतनामा वकील	शुन्य	खर्चा गवाहान	शुन्य
खर्चा गवाहान	शुन्य	फीस कमिश्नर	शुन्य
फीस कमिश्नर	शुन्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शुन्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शुन्य	मुतफरीक	शुन्य
मुतफरीक	शुन्य		शुन्य
कुल	शुन्य	कुल	शुन्य

30-01-2020
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसरवन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Prakash
Date: 2020.02.05 12:10:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: